क्रम-संख्या--106

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 फरवरी, 1980

फाल्गुन 2, 1901 शक संवत्

उत्तर प्रदेश, सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 424/सत्रह-वि0-1--106-1979

लखनऊ, 21 फरवरी, 1980

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 19 फरवरी, 1980 ई0 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1980 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1980

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1980]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ।)

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनिय 1980 कहा जायेगा ।

(2) यह 24 अक्टूबर, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5 सन् 1935 की प्रथम अनुसूची का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे और 1 अप्रैल, 1979 को किये गये समझे जायेंगे, अर्थात्:--

(क) अनुच्छेद छ: में, शब्द "जिसके अन्तर्गत ट्रैक्टर से सम्बद्ध ट्रेलर नहीं है" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) अनुच्छेद नौ के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायगा, अर्थात् :--

"नौ--ट्रैक्टर--ट्रैक्टर जिसके द्वारा ट्रेलर खींचा जाता हो और जिसका प्रयोग कृषि प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता हो, जब तक कि उसकी संयुक्त इकाई से कोई सन्धिबद्ध (आर्टीकुलेटेड) गाड़ी न बने, उसके द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या ट्रेलरों के संबंध में भुगतान किये जाने वाले कर के अतिरिक्त 100 रुपये प्रतिवर्ष की समान दर से कर ।" ;

(ग) अनुच्छेद दस निकाल दिया जायगा ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

3--संदेहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि मूल अधिनियम के, जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व था, अधीन,--

(क) 1 अप्रैल, 1979 के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में वसूली योग्य कोई कर वसूली योग्य रहेगा, मानो यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो;

(ख) 1 अप्रैल, 1979 को और उसके पश्चात् की किसी अवधि के संबंध में वसूल किया गया कोई कर, जो इस अधिनियम द्वारा किये गये संशोधनों के फलस्वरूप देय नहीं होता, वापस कर दिया जायगा ।

निरसन और अपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
रमेश चन्द देव शर्मा,
सचिव ।

No. 424 (2)/XVII-V-1—106-79
Dated Lucknow, February 21, 1980

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Gadi Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1980) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 19, 1980:

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1980

[U. P. ACT NO. 3 OF 1980]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature

AN

ACT

further to amend the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935

IT IS HERBBY enacted in the thirty first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1980.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 24, 1979.

Amendment of the First Schedule to U.P. Act no. 5 of 1935.

2. In the First Schedule to the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935, hereinafter referred to as the principal Act, the following amendments shall be made and shall be deemed to have been made, on April 1, 1979, namely:—

(a) in Article VI the words "excluding trailers attached to tractors" shall be *omitted*;

(b) *for* Article IX, the following Article shall be *substituted*, namely:—

"IX. *Tractor*—Tractor by which trailer is drawn and which is used for purposes other than agricultural purposes, unless its joint unit forms an articulated vehicle, Tax at a flat rate of Rs.100 per annum in addition to the tax paid in respect of the trailer or trailers drawn by it.";

(c) Article X shall be *omitted*.

Transitory provisions.

3. For removal of doubts it is hereby declared that any tax under the principal Act as it stood immediately before the commencement of this Act—

(a) realisable in respect of any period before April 1, 1979, shall be realisable as if this Act had not come into force;

(b) realised in respect of any period on and after April 1, 1979, which would not be payable in view of the amendments made by this Act, shall be refunded.

Repeal and savings.

U.P. Ordinance no. 23 of 1979.

4. (1) The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 1979, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 319 सा० (विधा०)--22-2-80--(4027)--1980--650 (मेकै०)।